प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

10,000/- रूपये का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार

दिनांक 26.06.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में चोरी तथा हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 492/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खैराबाद, सीतापुर में वांछित 10,000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त सहादत अली पुत्र हामिद अली नि0 शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद खीरी को श्यामनाथन के पास से गिफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस भी बरामद हुआ है। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 304/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शातिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु चोरी तथा हत्या के प्रयास जैसे अपराध कारित करता है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सहादत उपरोक्त करीब सात माह से वांछित चल रहा था। जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- सहादत अली पुत्र हामिद अली नि0 शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद खीरी

बरामदगी- एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 12 बोर

पुलिस टीम थाना कोतवाली नगर -

1. उ0नि0 श्री दिनेश तिवारी
2. उ0नि0 मो0 रफीक
3. का0 राजू

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 347/2020 धारा 379/411 भादवि थाना खैराबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 351/2020 धारा 307/341 भादवि थाना खैरबाद जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 492/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैगेंस्टर एक्ट थाना खैराबाद जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 304/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर